



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092026-275895
CG-DL-E-01092026-275895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4631]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/भाद्र 9, 1948

No. 4631]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/BHADRA 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4818(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिले में बहराइच बाईपास से रुपईडीहा सेक्शन पर मटेरा चौराहा और चरसंडा माफ़ी MoRT&H द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का दीर्घ कालिक सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-927 के कि.मी. 117.385 से कि.मी. 119.660 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बहराइच को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिले में बहराइच बाईपास से रुपईडीहा सेक्शन पर मटेरा चौराहा और चरसंडा माफ़ी में MoRT&H द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का दीर्घ कालिक सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-927 के कि.मी. 117.385 से कि.मी.119.660 तक अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: बहराइच		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नानपारा					
गांव का नाम: लालपुर शिवपुर					
1	1665	निजी	कृषि +आबादी	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
2	1668	सरकारी	गैरकृषि चकमार्ग	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
3	1669	निजी	कृषि +आबादी	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
4	1724	सरकारी	गैरकृषि बंजर	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
5	1727	निजी	कृषि	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
6	1728	निजी	कृषि	0.0065 (हेक्टेयर)	0.0065
7	1729	निजी	कृषि	0.0146 (हेक्टेयर)	0.0146
8	1731	निजी	कृषि /आबादी	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
9	1733	सरकारी	गैरकृषि बंजर	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
10	1734	निजी	कृषि +आबादी	0.0114 (हेक्टेयर)	0.0114
11	1735	निजी	कृषि /आबादी	0.0092 (हेक्टेयर)	0.0092
12	1736	निजी	कृषि +आबादी	0.0213 (हेक्टेयर)	0.0213

13	1737	सरकारी	गैरकृषि रोड	2.6639 (हेक्टेयर)	2.6639
14	1738	निजी	कृषि +आबादी	0.1589 (हेक्टेयर)	0.1589
15	1741	निजी	कृषि +आबादी	0.0789 (हेक्टेयर)	0.0789
16	1742	निजी	कृषि +आबादी	0.0361 (हेक्टेयर)	0.0361
17	1743	निजी	कृषि +आबादी	0.0098 (हेक्टेयर)	0.0098
18	1744	सरकारी	गैरकृषि नाली	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
19	1745	निजी	कृषि	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
20	1746	निजी	कृषि	0.0219 (हेक्टेयर)	0.0219
21	1748	निजी	कृषि	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
गांव का नाम: भौखारा					
22	627	सरकारी	गैरकृषि रोड	0.0273 (हेक्टेयर)	0.0273
गांव का नाम: चरसन्डा माफ़ी					
23	1	निजी	कृषि/ आबादी	0.0774 (हेक्टेयर)	0.0774
24	152	निजी	कृषि/ आबादी	0.0287 (हेक्टेयर)	0.0287
25	153	निजी	कृषि/ आबादी	0.0631 (हेक्टेयर)	0.0631
26	154	निजी	कृषि	0.0342 (हेक्टेयर)	0.0342
27	157	निजी	कृषि	0.0315 (हेक्टेयर)	0.0315
28	158	निजी	कृषि	0.0181 (हेक्टेयर)	0.0181
29	21	सरकारी	रोड एन. जेड. ए.	0.1315 (हेक्टेयर)	0.1315
30	22	सरकारी	बंजर	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
31	226	निजी	कृषि	0.0024 (हेक्टेयर)	0.0024
32	227	निजी	कृषि	0.0009 (हेक्टेयर)	0.0009

33	228	सरकारी	रोड एन. जेड. ए.	2.8164 (हेक्टेयर)	2.8164
34	229	निजी	कृषि	0.0213 (हेक्टेयर)	0.0213
35	23	निजी	कृषि/ आबादी	0.0504 (हेक्टेयर)	0.0504
36	230	निजी	कृषि	0.0389 (हेक्टेयर)	0.0389
37	231	सरकारी	रोड एन. जेड. ए.	0.1177 (हेक्टेयर)	0.1177
38	233	निजी	कृषि/ आबादी	0.0248 (हेक्टेयर)	0.0248
39	234	सरकारी	चकमार्ग	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
40	235	निजी	कृषि	0.0885 (हेक्टेयर)	0.0885
41	24	निजी	परती/कृषि/ आबादी	0.1439 (हेक्टेयर)	0.1439
42	26	निजी	कृषि	0.0577 (हेक्टेयर)	0.0577
43	265	निजी	कृषि	0.1862 (हेक्टेयर)	0.1862
44	266	निजी	कृषि	0.1274 (हेक्टेयर)	0.1274
45	268	निजी	कृषि	0.0122 (हेक्टेयर)	0.0122
46	269	सरकारी	खलिहान	0.081 (हेक्टेयर)	0.081
47	270	सरकारी	खलिहान	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
48	28	निजी	कृषि	0.0478 (हेक्टेयर)	0.0478
49	29	निजी	कृषि/ आबादी	0.0612 (हेक्टेयर)	0.0612
50	30	सरकारी	बंजर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
51	31	सरकारी	चकमार्ग	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
52	326	सरकारी	चकमार्ग	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
53	327	निजी	कृषि	0.0322 (हेक्टेयर)	0.0322

54	328	निजी	कृषि	0.0625 (हेक्टेयर)	0.0625
55	335	सरकारी	कब्रिस्तान	0.0402 (हेक्टेयर)	0.0402
56	351	सरकारी	नवीन परती	0.0071 (हेक्टेयर)	0.0071
57	50	निजी	कृषि/ आबादी	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
58	55	सरकारी	खाद गड्ढा	0.0153 (हेक्टेयर)	0.0153
59	56	सरकारी	रास्ता	0.0569 (हेक्टेयर)	0.0569
Total					7.6801

[फा. सं. 23016/Long Term Rectification/NH-927/PKG-03/2026/PIU-BRH/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2026

S.O. 4818(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of land for Long Term Rectification of MoRT&H identified black spots at Matera Chauraha and Charsanda Mafi of Bahraich bypass to Rupaidiha section of NH-927 from Km. 117.385 to Km. 119.660 in the district of BAHRAICH in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SLAO, Bahraich in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling of MoRT&H identified black spots at Matera Chauraha and Charsanda Mafi of Bahraich bypass to Rupaidiha section of NH-927 from Km. 117.385 to Km. 119.660 in the district of BAHRAICH in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: BAHRAICH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nanpara					
Village: Lalpur Sheopur					
1	1665	Private	Agriculture+Aabadi	0.0001 (Hectare)	0.0001
2	1668	Government	Non Agriculture Chakmarg	0.0001 (Hectare)	0.0001
3	1669	Private	Agriculture+Aabadi	0.0001 (Hectare)	0.0001
4	1724	Government	Non Agriculture Banjar	0.0001 (Hectare)	0.0001
5	1727	Private	Agriculture	0.0042 (Hectare)	0.0042
6	1728	Private	Agriculture	0.0065 (Hectare)	0.0065
7	1729	Private	Agriculture	0.0146 (Hectare)	0.0146
8	1731	Private	Agriculture+Aabadi	0.0004 (Hectare)	0.0004
9	1733	Government	Non Agriculture Banjar	0.0005 (Hectare)	0.0005
10	1734	Private	Agriculture+Aabadi	0.0114 (Hectare)	0.0114
11	1735	Private	Agriculture+Aabadi	0.0092 (Hectare)	0.0092
12	1736	Private	Agriculture+Aabadi	0.0213 (Hectare)	0.0213
13	1737	Government	Non Agriculture Road	2.6639 (Hectare)	2.6639
14	1738	Private	Agriculture+Aabadi	0.1589 (Hectare)	0.1589

15	1741	Private	Agriculture+Aabadi	0.0789 (Hectare)	0.0789
16	1742	Private	Agriculture+Aabadi	0.0361 (Hectare)	0.0361
17	1743	Private	Agriculture+Aabadi	0.0098 (Hectare)	0.0098
18	1744	Government	Non Agriculture Naali	0.0025 (Hectare)	0.0025
19	1745	Private	Agriculture	0.0027 (Hectare)	0.0027
20	1746	Private	Agriculture	0.0219 (Hectare)	0.0219
21	1748	Private	Agriculture	0.0001 (Hectare)	0.0001
Village: Bhaukhara					
22	627	Government	Non Agriculture Road	0.0273 (Hectare)	0.0273
Village: Charsanda Mafi					
23	1	Private	Agriculture/Abadi	0.0774 (Hectare)	0.0774
24	152	Private	Agriculture/Abadi	0.0287 (Hectare)	0.0287
25	153	Private	Agriculture/Abadi	0.0631 (Hectare)	0.0631
26	154	Private	Agriculture	0.0342 (Hectare)	0.0342
27	157	Private	Agriculture	0.0315 (Hectare)	0.0315
28	158	Private	Agriculture	0.0181 (Hectare)	0.0181
29	21	Government	Road N.Z.A	0.1315 (Hectare)	0.1315
30	22	Government	Banjar	0.012 (Hectare)	0.012
31	226	Private	Agriculture	0.0024 (Hectare)	0.0024
32	227	Private	Agriculture	0.0009 (Hectare)	0.0009
33	228	Government	Road N.Z.A	2.8164 (Hectare)	2.8164
34	229	Private	Agriculture	0.0213 (Hectare)	0.0213
35	23	Private	Agriculture/Abadi	0.0504 (Hectare)	0.0504
36	230	Private	Agriculture	0.0389 (Hectare)	0.0389
37	231	Government	Road N.Z.A	0.1177 (Hectare)	0.1177

38	233	Private	Agriculture/Abadi	0.0248 (Hectare)	0.0248
39	234	Government	Chakmarg	0.048 (Hectare)	0.048
40	235	Private	Agriculture	0.0885 (Hectare)	0.0885
41	24	Private	Parti/Agriculture/Abadi	0.1439 (Hectare)	0.1439
42	26	Private	Agriculture	0.0577 (Hectare)	0.0577
43	265	Private	Agriculture	0.1862 (Hectare)	0.1862
44	266	Private	Agriculture	0.1274 (Hectare)	0.1274
45	268	Private	Agriculture	0.0122 (Hectare)	0.0122
46	269	Government	Khalihan	0.081 (Hectare)	0.081
47	270	Government	Khalihan	0.0016 (Hectare)	0.0016
48	28	Private	Agriculture	0.0478 (Hectare)	0.0478
49	29	Private	Agriculture/Abadi	0.0612 (Hectare)	0.0612
50	30	Government	Banjar	0.01 (Hectare)	0.01
51	31	Government	Chakmarg	0.0031 (Hectare)	0.0031
52	326	Government	Chakmarg	0.0004 (Hectare)	0.0004
53	327	Private	Agriculture	0.0322 (Hectare)	0.0322
54	328	Private	Agriculture	0.0625 (Hectare)	0.0625
55	335	Government	kabristan	0.0402 (Hectare)	0.0402
56	351	Government	Naveen Parti	0.0071 (Hectare)	0.0071
57	50	Private	Agriculture/Abadi	0.057 (Hectare)	0.057
58	55	Government	Khad Gaddha	0.0153 (Hectare)	0.0153
59	56	Government	Rasta	0.0569 (Hectare)	0.0569
Total					7.6801

[F. No. 23016/Long Term Rectification/NH-927/PKG-03/2026/PIU-BRH/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director